

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 65/2021-22

राम चन्द्र सिंह......अपीलकर्त्ता बनाम परमानन्द सिंह......उत्तरकारी।

आदेश

25.03.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-95/2001-02 में पारित आदेश दिनांक-15.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपल्ब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :-मौजा सिंगरो गादी एक प्रधानी मौजा है एवं मौजा के अंतिम प्रधान रणबहादुर सिंह थे।

- अंतिम प्रधान रणबहादुर सिंह की मृत्यू नावल्द हो चुकी है।
- 2. अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के भाई का नाती है तथा सिंगरो गादी में स्थाई रूप में रहते है।
- 3. अपीलकर्त्ता के अलावे अन्य द्वारा भी मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें नन्दगोपाल सिंह द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा—6 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया था। शेष आवेदन धारा—5 के अन्तर्गत था।
- 4. अपीलकर्त्ता द्वारा भूलवश संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा—5 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था, वाद में धारा—6 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु संशोधन आवेदन दाखिल किया गया था। किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के दावों पर विचार किये बिना ही उत्तरकारी को संथाल परगना



कास्तकारी अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :--

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि पूर्व प्रधान की मृत्यु हो जाने के कारण मौजा खास है। जिस कारण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा—5 में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, मसलिया से जमाबंदी रैयतों की सूची मांग की गई। अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्ति के पश्चात् दिनांक—15.09.2021 को मतदान कराया गया। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित 26 रैयतों में से 24 रैयतों की समर्थन उत्तरकारी को मिलने के कारण उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman.

- When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *Thakur Hembrom Vrs State* of Bihar, 1980 BLJR 448: 1980 BLJ212 (DB)]. में पारित आदेश के अनुसार : —

It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim

<u>निष्कर्ष</u>

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा के अंतिम प्रधान की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। आवेदन में दर्शाए गये



वंशावली के अनुसार अपीलकर्ता पूर्व प्रधान के चाचा की बेटी का पुत्र है अर्थात पूर्व प्रधान के चाचा का नाती है। वह मौजा में ही स्थाई रूप से रहता है। इनका दावा प्रधान पद संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा—6 के अन्तर्गत है। अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा पूर्व प्रधान के वंशजो के संबंध में जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। फलरवरूप प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा—5 के अन्तर्गत प्रारंभ की गई।

ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश है कि :--

It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.

ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम पूर्व प्रधान के वंशजो के संबंध में जाँचोपरांत ही मतदान द्वारा प्रधान नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए था, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय के पूर्व प्रधान के वंशजों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही धारा—5 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया गया है, जो नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

उल्लेखित तथ्य एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि सर्वप्रथम पूर्व प्रधान के वंशजो के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त की जाय। तत्पश्चात् नियमानुसार प्रधान की नियुक्ति किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, दुमका।

उपायुक्त, दुमका। 1887 28.9.22